संख्या- 03/2025/3845/26-3-2024-1362880

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 जनवरी, 2025

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत SNA खाते में जमा ट्रांजेक्शन फेल की राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3235/स0क0/शिक्षा-अ/9/256/2024-25 दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले सिंगल नोडल अकाउंट (खाता संख्या-40325246530) में ट्रांजेक्शन फेल की जमा धनराशि रू0 247.79232 लाख से सम्बन्धित कुल 3113 छात्रों को 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि का भुगतान उनके आधार सीडेड बैंक खातें में पुनः प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत कुल 9,24,947 छात्रों के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 425.58 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3113 छात्रों के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 247.79232 लाख का ट्रांजेक्शन फेल विभिन्न कारणों यथा- विभिन्न बैंकिग नियमों जैसे- आधार मैप्ड न होने, आधार सीडेड न होना, खातें में अधिकतम लिमिट सेट होना, खाता बंद होना, खाते में के0वाई0सी0 न होना आदि से हुआ है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले सिंगल नोडल अकाउंट (खाता संख्या-40325246530) में ट्रांजेक्शन फेल की जमा धनराशि रू0 247.79232 लाख से सम्बन्धित कुल 3113 छात्रों को 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि का भुगतान उनके आधार सीडेड बैंक खातें में पुनः प्रेषित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन छात्रों का ट्रान्जेक्शन फेल्योर हुआ था, उन्ही छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाय।
(2) राजकोष में धनराशि जमा होने की पुष्टि स्व स्तर से कर लेंगे।
(3) भविष्य में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
(4) प्रश्नगत प्रकरण को दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
(5) चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रयास किया जायेगा कि छात्रवृत्ति का वितरण समयान्तर्गत हो जाय, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
(6) सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था/भारत सरकार की गाइडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 16-01-2025 18:24:24

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्डफाइल

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव